

F.No.21(1)-PD/2005
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

Room No.168A, North Block,
New Delhi dated December 27, 2006

Subject: Cash management system in Central Government – modified exchequer control based expenditure management and restrictions on expenditure during the last quarter of the financial year.

OFFICE MEMORANDUM

The undersigned is directed to refer to Office Memorandum of even number dated January 10, 2006 regarding introduction of exchequer control based expenditure with effect from April 1, 2006.

2. Based on the working of the scheme, it has been decided to expand and modify the Scheme as detailed below.
3. The Modified Cash Management System seeks to achieve, *inter alia*, the following objectives -
 - (i) Obtain greater evenness in the budgeted expenditure within the financial year, especially in respect of items entailing large sums of advance releases and transfers to corpus funds.
 - (ii) Reduce rush of expenditure during the last quarter, especially the last month of the financial year.
 - (iii) Reduce tendency of parking of funds.
 - (iv) Effectively monitor the expenditure pattern.
 - (v) Better planning of Indicative Market Borrowing Calendar of the Central Government.
4. The Scheme shall apply in respect of 23 Demand for Grants listed in Annex I, including 9 to which the Scheme is being extended with effect from financial year 2007-08.
5. Financial Advisor would be responsible for the implementation of the modified expenditure management system. He/she may nominate a nodal officer for the purpose.
6. In respect of each Demand for Grant, Monthly Expenditure Plan (separately for Plan and Non-Plan Expenditure) [MEP] would be worked out and included as an annex to the Detailed Demand for Grant in respect of the said Demand for Grant. Suggested format is at Annex-II.

एफ. सं 21(1)पी.डी./2005
 भारत सरकार
 वित्त मंत्रालय
 आर्थिक कार्य विभाग
 (बजट प्रभाग)

कमरा सं० 168ए, नार्थ ब्लॉक
 नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर, 2006

विषय:- केन्द्र सरकार की नकद प्रबंधन-प्रणाली वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान संशोधित राजकोषीय नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन और व्यय प्रतिबंध ।

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी राजकोषीय नियंत्रण आधारित व्यय शुरू करने से संबंधित दिनांक 10 जनवरी, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. योजना की कार्यप्रणाली के आधार पर योजना का विस्तार करने और उसमें निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

3. संशोधित नकद प्रबंधन प्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है :

- (i) वित्तीय वर्ष के अंतर्गत बजटीय व्यय में और अधिक समानता लाना, विशेष रूप से उन मदों के संबंध में जिनके लिए काफी बड़ी राशि में अग्रिम जारी किए जाते हैं और संचयी निधि को अंतरण किया जाते हैं ।
- (ii) अंतिम तिमाही के दौरान, विशेष रूप से वर्ष के आखिरी महीनों के दौरान में अधिक खर्च करने से बचना ।
- (iii) निधियों की पार्किंग की प्रवृत्ति को रोकना ।
- (iv) व्यय पद्धति की कारगर ढंग से मॉनिटरिंग करना ।
- (v) केन्द्र सरकार के बाजार उधार संबंधी निर्देशक कैलेंडर की बेहतर योजना करना ।

4. यह योजना अनुबंध-1 में सूचीबद्ध अनुदानों की 23 मांगों के मामले में लागू होगी जिनमें 9 ऐसी अनुदान मांगे शामिल हैं जिनके लिए योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से विस्तारित किया जा रहा है।

7. MEP would form the basis of Quarterly Expenditure Allocations [QEA].[^] The Department/Ministries concerned may not issue cheques beyond the Quarterly Expenditure Allocation [which would be equal to the sum of provisions under Monthly Expenditure Plan], without prior consent of Ministry of Finance [Cash Management Cell, Budget Division].
8. The MEP may be finalized taking into account the following –
- (a) MEP for the month of March may not exceed 15 per cent of the budgeted provision [Budget Estimate];
 - (b) MEP for the months of January-March may be so fixed that the QEA for the last quarter may not exceed 33 per cent of the budgeted provision; and
 - (c) The extant guidelines of Ministry of Finance, Department of Expenditure, including D.O.No.7(3)/2006/E.Coord, dated December 21, 2006.
9. The exchequer control would apply cumulatively at the Demand for Grants level only, i.e. inter se variations between months within a quarter, between plan and non-plan and between schemes would be permissible, subject to statutory restrictions and extant guidelines.
10. Savings, if any, incurred under the Quarterly Expenditure Allocations would not be available for automatic carry forward to the next quarter. The Department/Ministry may, however, approach Ministry of Finance for revalidation of such savings through modification in the Monthly Expenditure Plan and thereby Quarterly Expenditure Allocation. **Spill over in respect of Monthly Expenditure Plan, not inconsistent with Quarterly Expenditure Allocation would not require prior revalidation from Ministry of Finance but may be included in the quarterly modification.**
- (11) Ministry of Finance would consider such requests for revalidation within a period of 15 days of receipt of such request, failing which the request for revalidation would be deemed to have been granted.
- (12) The Monthly Expenditure Plan and Quarterly Expenditure Allocations pertaining to the 4th quarter of the financial year would be subsumed in the finalization of Revised Estimate for the financial year.
- (13) The Monthly Expenditure Plan and Quarterly Expenditure Allocations may be made in gross terms.
- (14) In addition to the above, it is advised that even in respect of Demand for Grants not covered by the modified exchequer management system, the expenditure in the last quarter of the financial year may not exceed 33 per cent of the Budget allocation for the Demand for Grants. However, in the event of Revised Estimates being fixed lower than the Budget Estimate, actual expenditure may be kept within the Revised Estimate.

It is clarified that the above provision shall apply in the current financial year as well.

5. व्यय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वित्त सलाहकार की होगी। वे इस प्रयोजन हेतु एक नोडल अधिकारी को मनोनीत कर सकते हैं/कर सकती हैं।
6. प्रत्येक अनुदान मांग के संबंध में, मासिक व्यय आयोजना (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय के लिए अलग-अलग) (एमईपी) तैयार की जाएगी। जिसे उक्त अनुदान मांग के संबंध में अनुदानों की ब्यौरेवार मांग में एक अनुबंध के रूप में शामिल किया जाएगा। सुझाया गया प्रपत्र अनुबंध- II में दिया गया है।
7. एमईपी तिमाही व्यय आवंटन (क्यूईए) का आधार बनेगा। संबंधित विभाग/मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (नकद प्रबंधन सैल, बजट प्रभाग) की पूर्व अनुमति के बिना तिमाही व्यय आवंटन (जा मासिक व्यय आयोजना के अंतर्गत प्रावधान राशि के बराबर होगा) से अधिक राशि के चैक जारी नहीं करेंगे।
8. निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए एमईपी को अंतिम रूप दिया जाएगा -
- (क) मार्च माह के लिए एमईपी बजटीय प्रावधान (बजट अनुमान) के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (ख) जनवरी-मार्च के महीनों हेतु एमईपी को इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि अंतिम तिमाही से संबद्ध क्यूईए बजटीय प्रावधान के 33 प्रतिशत से अधिक न हो, और
- (ग) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अ.शा. सं० 7 (3)/2006/ई-कॉर्ड दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 शामिल है।
9. राजकोषीय नियंत्रण अनुदानों की मांग स्तर पर ही संचयी रूप में लागू होगा अर्थात् यह तिमाही के अंतर्गत महीनों के बीच, आयोजना और आयोजना भिन्न बीच तथा योजनाओं के बीच पारस्परिक भिन्नताओं को सांविधिक प्रतिबंधों तथा वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।
10. तिमाही व्यय आवंटनों के अंतर्गत यदि कोई बचत हो, तो वह अगली तिमाही के लिए स्वतः अग्रेणित उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, विभाग/मंत्रालय वित्त मंत्रालय से ऐसी बचतों के पुनर्वैधीकरण हेतु मासिक व्यय आयोजना में सुधार द्वारा और इस प्रकार तिमाही व्यय आवंटन के जरिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मासिक व्यय आयोजना के संबंध में अधिक व्यय जो तिमाही व्यय आवंटन के अनुरूप नहीं है, वित्त मंत्रालय से पूर्व पुनर्वैधीकरण की अपेक्षा नहीं होगी लेकिन उसे तिमाही सुधार में शामिल किया जाएगा।
11. वित्त मंत्रालय पुनर्वैधीकरण हेतु, ऐसे अनुरोधों पर अनुरोध की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर विचार करेगा, ऐसा न होने पर पुनर्वैधीकरण संबंधी अनुरोध स्वीकृत माना जाएगा।
12. वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही से संबंधित मासिक व्यय आयोजना और तिमाही व्यय आवंटनों को वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

5
(15) This Office Memorandum supersedes the Office Memorandum of even number dated January 10, 2006.

(16) Receipt of this Office Memorandum may kindly be acknowledged.

V.S. Chauhan

(V.S. Chauhan)
OSD (Budget)
E mail chauhan@nic.in

To

1. All Financial Advisors.
2. Principal Director, O/o Comptroller and Auditor General of India.
3. Joint Controller General of Accounts.
4. All Directors/OSD/ABO/US/DD/Section Officers in Budget Division.
5. NIC, Ministry of Finance.

13. मासिक व्यय आयोजना और तिमाही व्यय आवंटन सकल रूप में किए जाएं ।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सलाह दी जाती है कि आशोधित राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत शामिल न किए गए अनुदानों की मांग के संबंध में भी वित्त वर्ष की पिछली तिमाही में हुआ व्यय अनुदानों की मांग हेतु बजट आवंटन के 33 प्रतिशत से अधिक न हो । तथापि, संशोधित अनुमानों के बजट अनुमान से कम निर्धारण की स्थिति में वास्तविक व्यय को संशोधित अनुमान के भीतर रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में भी लागू होगा ।
15. यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 जनवरी, 2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का स्थान लेगा।
16. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति की पावती प्रदान की जाए ।

वी० एस० चौहान

(वी० एस० चौहान)
विशेष कार्याधिकारी (बजट)
ई मेल-chauhan@nic.in

सेवा में,

सभी वित्तीय सलाहकार।
प्रधान निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय
संयुक्त महालेखानियंत्रक।
सभी निदेशक/विशेष कार्याधिकारी/एबीओ/अवर सचिव/उप निदेशक/
बजट प्रभाग के अनुभाग अधिकारी
एनआईसी, वित्त मंत्रालय ।

Annex -1

Sl.No.	Demand No	Name of the Ministry/Department
1.	1	Department of Agriculture and Cooperation
2.	2	Department of Agricultural Research and Education
3.	8	Department of Fertilisers
4.	11	Department of Commerce
5.	14	Department of Telecommunications
6.	18	Department of Food and Public Distribution
7.	31	Ministry of External Affairs
8.	32	Department of Economic Affairs
9.	41	Indian Audit and Accounts Department
10.	42	Department of Revenue
11.	43	Direct Taxes
12.	44	Indirect Taxes
13.	47	Department of Health & Family Welfare
14.	57	Department of School Education and Literacy
15.	58	Department of Higher Education
16.	68	Ministry of Panchayati Raj
17.	71	Ministry of Petroleum and Natural Gas
18.	73	Ministry of Power
19.	79	Department of Rural Development
20.	86	Department of Road Transport and Highways
21.	92	Ministry of Textiles
22.	100	Department of Urban Development
23.	104	Ministry of Women & Child Development

अनुबंध-I

क्रम सं०	मांग सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम
1	1	कृषि और सहकारिता विभाग
2	2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
3	8	उर्वरक विभाग
4	11	वाणिज्य विभाग
5	14	दूरसंचार विभाग
6	18	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
7	31	विदेश मंत्रालय
8	32	आर्थिक कार्य विभाग
9	41	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
10	42	राजस्व विभाग
11	43	प्रत्यक्ष कर
12	44	अप्रत्यक्ष कर
13	47	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
14	57	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
15	58	उच्च शिक्षा विभाग
16	68	पंचायती मंत्रालय
17	71	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
18	73	विद्युत मंत्रालय
19	79	ग्रामीण विकास विभाग
20	86	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
21	92	कपड़ा मंत्रालय
22	100	शहरी विकास मंत्रालय
23	104	महिला और बाल विकास मंत्रालय

Financial Year

Month	Plan	Non Plan	Total	Cumulative Total
April				
May				
June				
July				
August				
September				
October				
November				
December				
January				
February				
March				
Total				